

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBA. No 32/2022

No. 2022/ACII/2/1


New Delhi, Dated 6. 6.2022.

1. General Managers/ PFA etc (As per Standard list I).
2. All Attached Offices/ Subordinate Offices (As per standard list II)

Sub: Revised Codal life of Assets.

Kindly refer to para 219 of Indian Railway Finance Code, Vol-1, detailing the normal life of various assets. In this regard Electrical, Mechanical and Signalling Directorates have proposed revision of codal life of certain assets. The same have been examined by the multidisciplinary Executive Directors' Committee set up in Railway Board. Their recommendations have been accepted by Board. Accordingly, Advance Correction Slip No. 92 amending Para 219, Indian Railway Finance Code Vol-I is enclosed for information and necessary action.

Encl: As above.


(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to :

1. DyC&AG of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi (with 45 spare copies).
2. GM/ Const/NFR, CAO/CE (Const)/All Indian Railways.
3. PED/A, PED/CE/Planning, PED/EE (Development), EDME/Freight and ED/Signal
4. ACI(Comp), ACIII (6 copies), ACI V, Code revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget).
- 5 Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR

Room No. 419 A, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi- 110001

Advance Correction slip No.92
Indian Railway Finance Code —Volume -I (1998) Para 219:

1. Replace the existing class of assets and their average life in the table given under Para 219 Indian Railway Finance Code —Volume -I (1998) as under.
2. Codal life of other items not covered in the ACS will remain as per extant instructions for those items

(iii) ELECTRICAL ASSETS

S.No	Class of Assets		Average life	Remarks
14	Water Cooler, Refrigeration, Air Conditioner, hospital and domestic appliance		10	Actual replacement shall be based on condition of the asset
15	Internal wiring of building	a) Coastal area	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
		b) Non-coastal area	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
18	Electric Pumps		20	Actual replacement shall be based on condition of the asset

B) Equipments required for replacement through DRF/ Sinking Fund.

11) TRD Equipments

iii)	Lightning Arrestor (Gapless Type)		
	(a) (42kV)	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
	(b) (96kV/120kV/ 198kV)	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
vi)	Battery Charger		
xii)	OHE conductors & components – For Normal Zone		
b)	Other than fixed structures		
i)	a) Cantilevers assembly		45
	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
i)	b) All type of insulators	(a) Porcelain	40
		Actual replacement shall be based on condition of the asset	
		(b) Composite	25
		Actual replacement shall be based on condition of the asset	

[Signature] 2

ii)	Isolators/ATD	(a) Isolators	30	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
		(b) ATD	32	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
c)	Wires					
ii)	Contact Wire	45		Actual replacement shall be based on condition of the asset		
xiii)	OHE conductors & components – For Polluted Zone**					
	<p>** Definition of Polluted Zone for item xiii under OHE Conductors & components (for polluted zone)- Zones having ESDD (Equivalent Salt Deposit Density) >0.3 should be considered as polluted zone.</p>					
i	Cantilever assembly and All type of insulators	Cantilever assembly	45	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
		Insulators:				
		Composite	25	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
ii	ATD		24	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
iii)	Contact Wire	(a) Silver brazed / ERBW (b) Continuous Cast (CC) type	40 years / on the basis of condemning dia. whichever is earlier 45 years / on the basis of condemning dia. whichever is earlier	Actual replacement shall be based on condition of the asset		
xiv)	PSI Equipments					
(a)	Substation's Equipments					
iii)	Fixed capacitor bank		20	Actual replacement shall be based on condition of the asset		

Approved

(IV) MECHANICAL ASSET

S.No.	Class of Assets	Average life in years	Remarks
1	Machine tools like lathes, Planners, Drilling, Boring and Milling machines etc.	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
2	High Precision and special purpose machines like Wheels lathes	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
3	Tool room and testing Laboratory equipment	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
4	Foundry and Forge Equipment	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
5	Heat Treatment equipment	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
6	EOT Cranes	36	Actual replacement shall be based on condition of the asset
7	Power Generation Machinery & Switches	Deleted	
8	General purpose light machinery e.g. band saw, floor grinder etc.	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
9	Air compressors	20	Actual replacement shall be based on condition of the asset
10	Other miscellaneous machines e.g. light cleaning machines, test equipment in loco sheds, workshops, depot & sick lines	Deleted	
11	(i) Construction Machinery equipment (ii) Track maintenance Equipment (a) Tamping, Ballast cleaning & handling, DTS and relaying machines (b) Material handling machines (c) Rail Grinding Machines	Deleted 20 25 15	Actual replacement shall be based on condition of the asset Actual replacement shall be based on condition of the asset Actual replacement shall be based on condition of the asset

boutup

S.No.	Class of Assets	Average life in years	Remarks
13	Miscellaneous machinery and equipment for hospital, offices etc.	10	Actual replacement shall be based on condition of the asset
14	Mechanical Weigh Bridges	Deleted	
15	Electronic in motion weigh Bridges	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
16	Wheel impact Load detector(WILD)	12	Actual replacement shall be based on condition of the asset
17	Diesel pumps	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
18	Welding equipments	10	Actual replacement shall be based on condition of the asset
19	Diesel Refrigeration equipment	Deleted	
20	Material Handling equipment like FLT, Lister trucks etc.	10	Actual replacement shall be based on condition of the asset
21	Traversers	25	Actual replacement shall be based on condition of the asset
22	Fuel Station Dispensation Equipment	10	Actual replacement shall be based on condition of the asset
23	(i) Bulldozers and (ii) other earth moving equipment	20 Deleted.	Actual replacement shall be based on condition of the asset
24	Motor Boats	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset
25	Hydraulic Re-railing Equipment	16	Actual replacement shall be based on condition of the asset
ROAD VEHICLES			
26	Staff cars including Jeeps	7	Actual replacement shall be based on condition of the asset

Bourcup

S.No.	Class of Assets	Average life in years	Remarks
27	Light motor vehicles	10 years for Diesel and 15 years for Petrol as per norms.	Actual replacement shall be based on condition of the asset
28	Heavy Motor vehicles		Actual replacement shall be based on condition of the asset
29	Tractors		Actual replacement shall be based on condition of the asset

B. Dourap

(IV) MECHANICAL ASSET

ROLLING STOCK

S.No	Class of Assets	Average life in years	Remarks
40	Open Bogie wagons with air brakes and casnub bogies		
a)	BOXN, BOY, BOBRN, BOBSN	35 years (subject to outcome of structural and financial justification to be conducted for extension beyond 30 years).	Actual replacement shall be based on condition of the asset
b)	BOBYN	38.	Actual replacement shall be based on condition of the asset
c)	Other open wagons	30	Actual replacement shall be based on condition of the asset
41	Bogie tank wagons with air brakes and Casnub bogies		
a)	BTPN	45 years (subject to outcome of structural audit to be conducted for extension beyond 40 years).	Actual replacement shall be based on condition of the asset
b)	Other tank wagons	40	Actual replacement shall be based on condition of the asset
42	All other types of Bogie wagons with air brakes and Casnub bogies		
a)	BCN	40 years (subject to outcome of structural audit and financial justification to be conducted for extension beyond 35 years).	Actual replacement shall be based on condition of the asset
b)	All other wagons	35	Actual replacement shall be based on condition of the asset
43	Open Wagons with vacuum brakes and UIC bogies	Deleted	
44	Other Wagons with vacuum brakes and UIC bogies	Deleted	
45	4-wheeler wagons (open and covered)	Deleted	
46	4-wheeler tank Wagons (with plain bearings)	Deleted	
47	4-wheeler tank wagons (with roller bearings)	Deleted	

Bhousup

(V) SIGNAL & TELECOMMUNICATION ASSETS

(A) SIGNALLING SYSTEM

S.No.	Class of Assets	Average life in years	Remarks
3	(i) Electronic Signalling system like Axle Counter, AFTC, IPS etc	20 years/based on obsolescence	Actual replacement shall be based on condition of the asset
	(ii) Kavach (Automatic Train Protection-ATP)	15	Actual replacement shall be based on condition of the asset

(Authority Board's letter no. 2022/AC II/2/I dated 6.6.2022)

O Devap



भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)



आरबीए सं. 32/2022

सं. 2022/एसी॥/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 6.06.2022

1. महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार आदि (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय: परिसंपत्तियों की संशोधित जीवट आयु।

कृपया भारतीय रेल वित्त संहिता, जिल्द-1 का पैरा 219 देखें, जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों की जीवट आयु का विवरण दिया गया है। इस संबंध में बिजली, यांत्रिक और सिगनल निदेशालयों ने विभिन्न परिसंपत्तियों की जीवट आयु में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। रेलवे बोर्ड में गठित कार्यपालक निदेशकों की बहुविषयी समिति द्वारा इसकी जांच की गई है। बोर्ड द्वारा उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, भारतीय रेल वित्त संहिता, जिल्द-1 के पैरा 219 को संशोधित करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 92 सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

(संजीव शर्मा)

वि.का.अ./लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (45 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. महाप्रबंधक/निर्माण/पूर्वत्तर सीमा रेलवे, मुख्य लेखा अधिकारी/सीई(निर्माण)/सभी भारतीय रेलें।
3. मुख्य कार्यपालक निदेशक/लेखा, मुख्य कार्यपालक निदेशक/सीई/योजना, मुख्य कार्यपालक निदेशक/ईई (विकास), कार्यपालक निदेशक यांत्रिक इंजीनियरी /मालभाड़ा और कार्यपालक निदेशक/सिगनल (लेखा)। (संकलन), लेखा।।।(6 प्रतियां), लेखा IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट)।
4. सलाहकार/रेल मंत्री, विशेष कार्याधिकारी/रेल मंत्री और विशेष कार्याधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 92

भारतीय रेल वित्त संहिता - जिल्द-1 (1998) पैरा 219:

- भारतीय रेल वित्त संहिता- जिल्द-1 (1998) के पैरा 219 के अंतर्गत दी गई तालिका में परिसंपत्तियों की मौजूदा श्रेणी और उनकी औसत आयु को निम्नानुसार बदल दिया जाए।
- उन अन्य मदों की जीवट आयु, जो इस शुद्धि पर्ची में शामिल नहीं हैं, उन मदों के लिए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अपरिवर्तित रहेगी।

(iii) बिजली परिसंपत्तियां

क्र. सं.	परिसंपत्ति की श्रेणी	औसत आयु	टिप्पणियां
14	वॉटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, एआर कंडीशनर, अस्पताल और घरेलू उपकरण	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
15	इमारतों में आंतरिक वायरिंग क)	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
		20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
18	इलैक्ट्रिक पम्प	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

ख) मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ)/निक्षेप निधि के माध्यम से प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित उपस्कर।

11) टीआरडी उपस्कर

iii)	लाइटिनिंग अरेस्टर (गैपलेस टाइप)		
	(क) (42केवी)	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
	(ख) (96केवी/120केवी/198केवी)	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
vi)	बैटरी चार्जर	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
xii)	शिरोपरि उपस्कर कंडक्टर एवं पुर्ज- सामान्य ज़ोन के लिए		
ख)	स्थायी अवसंरचना के अतिरिक्त		
i)	क) कैंटिलीवर एसेंबली	45	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की

				स्थिति के आधार पर होगा।
i)	ख) सभी प्रकार के इन्सुलेटर	(क) पोर्सिलेन	40	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
		(ख) कम्पोजिट	25	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
ii)	आइसोलेटर/एटीडी	(क) आइसोलेटर	30	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
		(ख) एटीडी	32	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
ग)	तारें			
ii)	संपर्क तार (कॉन्टेक्ट वायर)	45		वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
xiii)	शिरोपरि उपस्कर कंडक्टर एवं पुर्जे - प्रदूषित ज़ोन के लिए** ** शिरोपरि उपस्कर कंडक्टरों एवं पुर्जों के अंतर्गत मद सं. xiii के लिए प्रदूषित ज़ोन की परिभाषा (प्रदूषित ज़ोन के लिए) - ईएसडीडी (इक्विलेंट सॉल्ट डिपोजिट डेनसिटी) >0.3 वाले ज़ोनों को प्रदूषित ज़ोन माना जाना चाहिए।			
i	कैंटिलीवर एसेंबली और सभी प्रकार के इन्सुलेटर	कैंटिलीवर एसेंबली इन्सुलेटर:	45	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
		कॉम्पोजिट	25	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
ii	एटीडी		24	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
iii	संपर्क तार (कॉन्टेक्ट वायर)	(क) सिल्वर ब्रेज्ड / ईआरबीडब्ल्यू (ख) कॉस्ट सतत् ढलाई (सीसी) किस्म	40 वर्ष/ निराकरण अवधि के आधार पर, जो भी पहले हो 45 वर्ष/ निराकरण अवधि के आधार पर, जो भी पहले हो	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

xiv)	पीएसआई उपस्कर		
(क)	उप-स्टेशन उपस्कर		
iii)	स्थायी कैपैसिटर बैंक	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।

(IV) यांत्रिक परिसंपत्ति

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	वर्षों में औसत आयु	टिप्पणियां
1	मशीनी उपकरण जैसे खराद, प्लानर, ड्रिलिंग, बोरिंग और मिलिंग मशीनें इत्यादि	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
2	अति सूक्ष्मता एवं विशेष प्रयोजनों की मशीनें जैसे पहिया खराद	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
3	ओजार कक्ष और परीक्षण प्रयोगशाला उपकरण	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
4	ढलाई और गढ़ाई का सामान	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
5	हीट ट्रीटमेंट उपस्कर	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
6	ईओटी क्रेनें	36	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
7	बिजली उत्पादन की मशीनें और स्विच	हटा दिया गया	
8	सामान्य प्रयोजनों के लिए हल्की मशीनें जैसे बैंड सॉ, फ्लोर ग्राइंडर आदि	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
9	वायु संपीड़क	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
10	अन्य विविध मशीनें जैसे हल्की सफाई मशीनें, रेल इंजन शेडों, कारखानों, डिपुओं एवं सिक लाइनों में जांच उपस्कर	हटा दिया गया	

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	वर्षों में औसत आयु	टिप्पणियां
11	(i) निर्माण मशीनरी उपस्कर (ii) रेलपथ अनुरक्षण उपस्कर	हटा दिया गया	
	(क) टैम्पिंग, गिड्डी की सफाई एवं सम्हलाई, डीटीएस और रिलेइंग मशीनें	20	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
	(ख) सामग्री सम्हलाई मशीनें	25	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
	(ग) रेल ग्राइंडिंग मशीनें	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा।
13	अस्पताल, कार्यालयों आदि के लिए विविध मशीनरी एवं उपस्कर	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
14	यांत्रिक तुला चौकियां	हटा दिया गया	
15	इलैक्ट्रॉनिक इन मोशन तुला चौकियां	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
16	व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर(WILD)	12	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
17	डीज़ल पंप	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
18	वेल्डिंग उपस्कर	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
19	डीज़ल रेफ्रिजरेशन उपस्कर	हटा दिया गया	
20	एफएलटी, लिस्टर ट्रूकों आदि जैसे सामग्री सम्हलाई उपस्कर	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
21	ट्रैवर्स	25	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	वर्षों में औसत आयु	टिप्पणियां
			स्थिति के आधार पर होगा
22	फ्लूल स्टेशन डिस्पेंसेशन उपस्कर	10	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
23	(i) बुलडोज़र और (ii) अन्य अर्थ मूविंग उपस्कर	20 हटा दिया गया	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
24	मोटर बोट	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
25	हाइड्रॉलिक रि-रेलिंग उपस्कर	16	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
सड़क वाहन			
26	जीपों सहित स्टाफ कारें	7	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
27	हल्के मोटर वाहन	मानकों के अनुसार डीज़ल के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल के लिए 15 वर्ष।	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
28	भारी मोटर वाहन		वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
29	ट्रैक्टर		वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा

(IV) यांत्रिक परिसंपत्ति

चल स्टॉक

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	वर्षों में औसत आयु	टिप्पणियां
40	एअर ब्रेक और कैसनब बोगियों के साथ खुले बोगी वैगन		
क)	बीओएक्सएन, बीओवार्ड, बीओबीआरएन, बीओबीएसएन	35 वर्ष (30 वर्षों से अधिक के विस्तार के लिए किए गए संरचनात्मक और वित्तीय औचित्य के परिणाम के अध्यधीन)	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
ख)	बीओबीवार्डएन	38.	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
ग)	अन्य खुले वैगन	30	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
41	एअर ब्रेक और कैसनब बोगियों के साथ बोगी टैंक वैगन		
क)	बीटीपीएन	45 वर्ष (40 वर्षों से अधिक के विस्तार के लिए किए गए संरचनात्मक और वित्तीय औचित्य के परिणाम के अध्यधीन).	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
ख)	अन्य टैंक वैगन	40	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
42	एअर ब्रेकों और कैसनब बोगियों के साथ अन्य सभी किस्म के बोगी वैगन		
क)	बीसीएन	40 वर्ष (35 वर्षों से अधिक के विस्तार के लिए किए गए संरचनात्मक और वित्तीय औचित्य के परिणाम के अधीन).	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
ख)	अन्य सभी वैगन	35	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
43	वैक्यूम ब्रेकों और यूआईसी बोगियों के साथ खुले वैगन	हटा दिया गया	
44	वैक्यूम ब्रेकों और यूआईसी बोगियों के साथ अन्य वैगन	हटा दिया गया	
45	चौपहिया वैगन (खुले एवं ढके हुए)	हटा दिया गया	

46	चौपहिया टैंक वैगन (प्लेन बियरिंगों के साथ)	हटा दिया गया	
47	चौपहिया टैंक वैगन (रोलर बियरिंगों के साथ)	हटा दिया गया	

(V) सिगनल एवं दूरसंचार परिसंपत्तियाँ

(क) सिगनलिंग प्रणाली

क्र.सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	वर्षों में औसत आयु	टिप्पणियां
3	(i) एक्सल काउंटर, एएफटीसी, आईपीएस आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक सिगनलिंग प्रणाली	20 वर्ष/अप्रचलन के आधार पर	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा
	(ii) कवच (स्वचालित गाड़ी सुरक्षा-एटीपी)	15	वास्तविक प्रतिस्थापन परिसंपत्ति की स्थिति के आधार पर होगा

(प्राधिकार बोर्ड का दिनांक 6.6.2022 पत्र सं: 2022/एसी 11/2/1)